न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 62/2024 **दायर दिनांकः 24.05.2024**

उनवान

1. लीलाबाई पत्नि किशनलाल जाति दांगी नि. सिलोरी तहसील पिडावा

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील पिडावा जिला झालावाड

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :—
वकील प्रार्थी :— श्री रमीज रजा कुरैशी
अप्राथी :— पैरोकार सरकार

आदेश दिनांक : 29.11.2024

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि जमाबंदी सं. 2073—76 ग्राम सिलोरी तहसील पिडावा में खाता सं. 35 की आराजी ख.नं. 108 रकबा 0.9864 है. भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थीया का 10/39 हिस्सा दर्ज है। यह कि प्रार्थीया का सही नाम लीलाबाई पत्नि किशनलाल जाति दांगी नि. सिलोरी है। प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 1 में वर्णित आराजी के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी नकल में प्रार्थीया का नाम शांतीबाई पत्नि किशनलाल दर्ज हो रहा है। यह त्रुटीपूर्ण अंकन किस प्रकार और कैसे चला आ रहा है। इसकी जानकारी प्रार्थीया को नहीं है। यह अंकन गलत दर्ज हो रहा है। उक्त खाते में गलत नाम दर्ज होने की वजह से प्रार्थीया को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा है तथा कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है और प्रार्थीया को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड रहा है। प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 1 में वर्णित आराजी में अपने गलत नाम शांतीबाई स्थान पर सही नाम लीलाबाई दर्ज करवाने का पूरा अधिकार है। यह कि प्रार्थीया के आधारकार्ड, राशन[illegible]क कार्ड, बैंक डायरी इत्यादि दस्तावेजों में प्रार्थीया का सही नाम लीलाबाई दर्ज हो रहा है। यह कि प्रार्थीया पढी लिखी नहीं है और कानून की जानकारी भी नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.11 11:35:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

रखती है। प्रार्थीया को जब अपने गलत नाम इन्द्राज का पता चला तो प्रार्थीया ने हल्का पटवारी और तहसीलदार महोदय से सम्पर्क किया और जमाबंदी में गलत नाम शांतीबाई के स्थान पर सही नाम लीलाबाई दर्ज कराने का आग्रह किया तो उन्होने माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की सलाह दी। यह कि प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क पर अवधि मध्य व माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पिडावा को आदेश दिया जावे कि वे ग्राम सिलोरी खाता सं. 35 की आराजी ख.नं. 108 रकबा 0.9864 है. भूमि में प्रार्थीया का गलत दर्ज नाम शांतीबाई पत्नि किशनलाल के स्थान पर सही नाम लीलबाई पत्नि किशनलाल शुद्ध किये जाने बाबत त्रुटी दुरूस्त करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। पैरोकार सरकार की तलबी जर्ये सम्मन की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 19.11.2024 को पेश किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पेश जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि ग्राम सिलोरी के खाता सं. 35 सं. 2073–76 के ख.नं. 108 रकबा 0.9864 है. में खातेदार शांतीबाई पत्नि किशनलाल हि. 10/39 जाति दांगी नि. सिलोरी के खाते दर्ज है। प्रार्थी द्वारा धारा 136 एलआरएक्ट में नाम शुद्धि हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसकी जांच में पाया कि खातेदार द्वारा विक्रय पत्र से शांतीबाई पत्नि किशनलाल जाति दांगी नि. सिलोरी हि. 20/78 सा.देह दर्ज हुआ है जिसका नामा.सं. 470 दर्ज है। खातेदार शांतीबाई पत्नि किशनलाल के स्थान पर लीलाबाई पत्नि किशनलाल दर्ज करवाना चाहती है। ग्रामवासियों से प्राप्त जानकारी एवं दस्तावेज आधारकार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र में लीलाबाई नाम ही दर्ज है। ग्रामवासियों से प्राप्त जानकारी अनुसार शांतीबाई एवं लीलाबाई एक ही महिला है। धारा 136 एलआरएक्ट में दुरूस्ती योग्य नहीं है।

3. प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम सिलोरी की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 35 की प्रमाणित नकल, नक्शा नकल दिनांक 15.05.2024, खसरा गिरदावरी नकल, लीलाबाई का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.11 14:35:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

आधारकार्ड (669107023962), किशनलाल का राशनकार्ड, लीलाबाई का श्रमिक कार्ड (781941803485), बडौदा राज.क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की डायरी की छायाप्रति पेश की।

4. अप्रार्थी पेरोकार सरकार की ओर से पटवार हल्का की रिपोर्ट, नामा. सं. 470 की प्रमाणित नकल, जमाबंदी खाता सं. 35 की प्रमाणित नकल पेश की।

5. वकील प्रार्थी एवं पैराकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सिलोरी की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 35 की आराजी ख.नं. 108 रकबा 0.9864 है. भूमि में प्रार्थीया का 10/39 हिस्सा दर्ज है। जिसमें प्रार्थीया का गलत नाम शांतीबाई पत्नि किशनलाल दर्ज हो रहा है जिस कारण प्रार्थीया को कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है और प्रार्थीया को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है।

6. वकील प्रार्थी ने आगे बहस में तर्क दिया कि ग्राम सिलोरी के खाता सं. 35 की आराजी ख.नं. 108 रकबा 0.9864 है. में प्रार्थीया का गलत नाम शांतीबाई पत्नि किशनलाल दर्ज हो रहा है जबकि प्रार्थिया के आधारकार्ड, राशनकार्ड, श्रमिक कार्ड, बैंक डायरी इत्यादि दस्तावेजों में प्रार्थीया का सही नाम लीलबाई दर्ज है जो कि प्रस्तुत दस्तावेजों से साबित है। अतः ग्राम सिलोरी खाता सं. 35 की आराजी ख.नं. 108 रकबा 0.9864 है. भूमि में प्रार्थीया का गलत दर्ज नाम शांतीबाई पत्नि किशनलाल के स्थान पर सही नाम लीलबाई पत्नि किशनलाल शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

7. पैरोकार सरकार द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सिलोरी के खाता सं. 35 सं. 2073–76 के ख.नं. 108 रकबा 0.9864 है. में खातेदार शांतीबाई पत्नि किशनलाल हि. 10/39 जाति दांगी नि. सिलोरी के नाम दर्ज है। खातेदार द्वारा उक्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से शांतीबाई पत्नि किशनलाल जाति

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.11 11:35:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

दांगी नि. सिलोरी हि. 20/78 नाम से कय की थी जिसका नामा.सं. 470 दर्ज किया गया। रजिस्टर्ड दस्तावेज की डीड में अंकित त्रुटी में संशोधन हेतु पक्षकार को राजस्थाना स्टाम्प एवं पंजीयन नियम 2002 के अधीन संबंधित उप पंजीयक कार्यालय से शुद्धि पत्र जारी कराना चाहिए। रजिस्टर्ड दस्तावेज में डीड लिखते समय हुई त्रुटी को धारा 136 एलआरएक्ट में दुरूस्ती योग्य नहीं है। ऐसी त्रुटी पेरोकार सरकार या राजस्व विभाग की गलती के कारण नहीं होकर पक्षकार की गलत डीड के वजह से हुई है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

8. वकील प्रार्थी एवं पैराकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत ग्राम सिलोरी के खाता सं. 35 सं. 2073–76 के ख.नं. 108 रकबा 0.9864 है. में एवं नक्शा नकल दिनांक 15.05.2024, खसरा गिरदावरी नकल में में खातेदार शांतीबाई पत्नि किशनलाल हि. 10/39 जाति दांगी नि. सिलोरी दर्ज रिकार्ड है जबकि प्रार्थीया के आधारकार्ड (669107023962), किशनलाल का राशनकार्ड, लीलाबाई का श्रमिक कार्ड (781941803485), बडौदा राज.क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की डायरी में सही नाम लीलाबाई पत्नि किशनलाल अंकित है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा पैरोकार सरकार के इस कथन पर कोई आपत्ति पेश नहीं की कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दर्ज हुआ है और रजिस्टर्ड विकय पत्र में ही प्रार्थीया का नाम शांतीबाई अंकित था। राजस्व विभाग द्वारा विकय पत्र का इन्तकाल दर्ज करते समय या फर्द बदर तैयार करते समय कोई त्रुटी नहीं की है। **रजिस्टर्ड दस्तावेज की डीड में गलत नाम/तथ्य के अंकन को राजस्थान स्टाम्प व पंजीयन नियम 2002 के अधीन संबंधिसत उप पंजीयक कार्यालय में शुद्धि पत्र के माध्यम से ही दुरूस्त किया जा सकता है।** रजिस्टर्ड दस्तावेज में खातेदार के नाम अंकन में हुई त्रुटी को धारा 136 एलआरएक्ट के अधीन दुरूस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। राजस्व रिकार्ड के निरीक्षण के दौरान ज्ञात किसी भी प्रकार की त्रृटि को लेण्ड रिकार्ड ऑफिसर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत दुरूस्त किया जाता सकता है और ऐसे प्रत्येक परिवर्तन का इन्द्राज वार्षिक रजिस्टर में किया जावेगा। राजस्व रिकार्ड में भू प्रबन्ध एवं सर्वे की कार्यवाही के दौरान, सेग्रीगेषन के दौरान, नामान्तरण तस्दीक करते समय,

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.11 11:35:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

फर्द–बदर/चौसाला तैयार करते समय राजस्व कार्मिकों द्वारा मूल प्रविष्टि में की गई लिपिकीय त्रुटि या रेकार्ड के निरीक्षण के दौरान भू अभिलेख अधिकारी को ज्ञात त्रुटि को धारा 136 एलआरएक्ट के अधीन भू अभिलेख अधिकारी द्वारा दुरूस्त किया जा सकता है। धारा 136 एलआरएक्ट के प्रावधान निम्नानुसार है :–

136. Correction of errors – The land Records Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register: Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.

9. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम सिलोरी के खाता सं. 35 कृषि भूमि के संबंध में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट अस्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विष्लेषण के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 बावत दुरस्ती इन्द्राज न्यायहित में अस्वीकार किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/11/24

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.11 11:35:09 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश ... णा, आरएएस)
उपखण्ड ...
... झालावाड़ राज0

Scanned with OKEN Scanner